

24.5.22

पत्तावली पेश हुई / वगैरे पक्षकारान अनुपासित /
वकील प्रार्थी व प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों को

उपाध्याय समक्ष तर्क वार-वार आना जाना नाई-
गई / लेकिन नाई उपासित नहीं आये / और ना-ई
पक्षात्क समय दिये जाते के बाद भी अप्रार्थीगणों
की तामीत हेतु तलनाना जोर से पेश किया है।

उक्त प्रार्थी व प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212-
ग.डी.ऐ. 151 जा.डी. अन्तर्गत आदेश 09 निपम 05-
के अप्रार्थीगणों को बाह्य तामीत जोर से तलनाना
पेश नहीं करके क अदम हाफरी अदम पैरवी
में कोरत किया जाता है। पत्तावली पेशत
शुभ्रा.ऐ.का.2 व.का.2 से काम हेका.2 दा.विलेदका.2 है
मिथाय तुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपरवर्त अधिकारी
लेक
